रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042021-226438 CG-DL-E-08042021-226438

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 8, 2021/चैत्र 18, 1943	
No. 202]	NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 8, 2021/CHAITRA 18, 1943	

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2021

सं. 26/2021-सीमाश्ल्क

सा.का.िन. 253(अ).—वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124 के साथ पठित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनिहत में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	2007, जिसे सा.का.नि. 583 (अ), दिनांक 11	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2115 GI/2021 (1)

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
	प्रकाशित किया गया था ।	
2.	96/2008-सीमा शुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008, जिसे सा.का.नि. 590 (अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3.	57/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 30 मई, 2009, जिसे सा.का.नि. 371 (अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
4.	50/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, जिसे सा.का.नि. 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021 (2021 का 15) के खंड 115" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021 (2021 का 13) की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
5.	11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021) 2021 का (15के खंड 115, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931) 1931का (16के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021) 2021 का (13की धारा 124" को प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ii) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021के उक्त खंड", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनयम, 2021) 2021 का (13की उक्त धारा" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
6.	13/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 71 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।	शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2021) 2021का (15के खंड 115के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, जो अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 1931)का (16के अधीन उक्त वित्त विधेयक में की गई घोषणा के कारण प्रवृत्त विधि है", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2021) 2021 का (13की धारा 124 के अधीन उदग्रहणीय कृषि अवसंरचना और विकास उपकर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा. सं. 354/41/2021-टीआरयू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

- 1. प्रधान अधिसूचना संख्या 101/2007-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2007, को सा.का.िन. 583 (अ), दिनांक 11 सितम्बर, 2007 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था. के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 2. प्रधान अधिसूचना संख्या 96/2008-सीमाशुल्क, दिनांक 13 अगस्त, 2008 को सा.का.िन. 590(अ), दिनांक 13 अगस्त, 2008 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 3. प्रधान अधिसूचना संख्या 57/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 30 मई, 2009 को सा.का.िन. 371(अ), दिनांक 30 मई, 2009 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 4. प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2018, को सा.का.िन. संख्या 604 (अ), दिनांक 30 जून, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 5 फरवरी, 2021 जिसे सा.का.िन. 103 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 5. प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021, को सा.का.िन. 69 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 18/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 17 फरवरी, 2021, जिसे सा.का.िन. 117 (अ), दिनांक 17 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
- 6. प्रधान अधिसूचना संख्या 13/2021-सीमा शुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 को सा.का.िन. 71 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2021

No. 26/2021 - Customs

G.S.R. 253(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) read with section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amends the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in column (2) of the Table below, to the extent specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
1.	101/2007-Customs, dated the	In the said notification, for the words, figures and brackets
	11th September, 2007, published in the	"clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)", the words,
	Gazette of India, Extraordinary, Part II,	figures and brackets, "section 124 of the Finance Act, 2021 (13
	Section 3, Sub-section (i), vide number	

S.No.	Notification No. and Date	Amendments
(1)	(2)	(3)
	G.S.R. 583(E), dated the 11th September, 2007	of 2021)" shall be substituted.
2.	96/2008- Customs, dated the 13th August, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)", the words, figures and brackets, "section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
3.	57/2009- Customs, dated the 30th May, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 371(E), dated the 30th May, 2009.	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)", the words, figures and brackets, "section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
4.	50/2018-Customs, dated the 30th June, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 604(E), dated the 30th June, 2018	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021)", the words, figures and brackets, "section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
5.	11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021	 In the said notification, - (i) for the words, figures and brackets "clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021), which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law", the words, figures and brackets, "section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted; (ii) for the words, figures and brackets "said clause of the
		Finance Bill, 2021", the words, figures and brackets "said section of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.
6.	13/2021-Customs, dated the 1st February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (i), vide number G.S.R. 71(E), dated the 1st February, 2021	In the said notification, for the words, figures and brackets "clause 115 of the Finance Bill, 2021 (15 of 2021) which, by virtue of the declaration made in the said Finance Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) has the force of law", the words, figures and brackets, "section 124 of the Finance Act, 2021 (13 of 2021)" shall be substituted.

[F. No. 354/41/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note :-

- 1. The principal notification No. **101/2007**-Customs, dated the 11th September, 2007 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 583(E), dated the 11th September, 2007 and last amended, *vide* notification No. 16/2021-Customs, dated the 5th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 103(E), dated the 5th February, 2021.
- 2. The principal notification No. 96/2008-Customs, dated the 13th August, 2008 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 590(E), dated the 13th August, 2008 and last amended, vide notification No. 16/2021-Customs, dated the 5th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 103(E), dated the 5th February, 2021.

- 3. The principal notification No. **57/2009**-Customs, dated the 30th May, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 371(E), dated the 30th May, 2009 and last amended, *vide* notification No. 16/2021-Customs, dated the 5th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 103(E), dated the 5th February, 2021.
- 4. The principal notification No. **50/2018**-Customs, dated the 30th June, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 604(E), dated the 30th June, 2018 and last amended, *vide* notification No. 16/2021-Customs, dated the 5th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 103(E), dated the 5th February, 2021.
- 5. The principal notification No. 11/2021-Customs, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 69(E), dated the 1st February, 2021 and last amended, *vide* notification No. 18/2021-Customs, dated the 17th February, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 117(E), dated the 5th February, 2021.
- 6. The principal notification No. **13/2021**-Customs, dated the 1st February, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 71(E), dated the 1st February, 2021.